केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय)
परिवेश भवन, पूर्वी अर्जुन नगर,
दिल्ली–110032

फा.सं. सी-14012011/हि.ति.प्र.रि./2020-21/300 दिनांकः 21.09.2021 22

परिपत्र

विषयः मंत्रालय द्वारा हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा के संबंध में।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जून, 2021 को समाप्त तिमाही की राजभाषा के प्रगामी प्रयोग से संबंधित रिपोर्ट की समीक्षा की गई है। समीक्षा के उपरांत, मंत्रालय द्वारा इस आशय के निदेश दिए गए हैं 'क' तथा 'ख' क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों के लिए अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिए जाएँ। साथ ही मूल पत्राचार एवं टिप्पणियों को हिंदी में लिखे जाने के लिए वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किए जाएँ। उल्लेखनीय है कि यह कार्यालय 'क' क्षेत्र में स्थित है तथा इस कार्यालय द्वारा हिंदी में मूल पत्राचार किए जाने एवं टिप्पणियों को हिंदी में लिखे जाने का लक्ष्य क्रमशः 100% है तथा 75% है।

2. उपर्युक्त दृष्टिगत, यह अनुरोध है कि कृपया राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु हरसंभव प्रयास करें। इस संबंध में यह भी अनुरोध है कि:-

(i) 'क' तथा 'ख' क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों से अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना सुनिश्चित करें।
(ii) मूल पत्राचार एवं टिप्पणियों को हिंदी में लिखे जाने के लिए राजभाषा विभाग द्वारा उपर्युक्तानुसार निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएँ।
(iii) हिंदी में प्राप्त पत्रों के अनिवार्य रूप से हिंदी में ही उत्तर दिए जाएँ।
(iv) राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) में उल्लिखित दस्तावेजों को जारी किए जाने की स्थिति में उनको द्विभाषिक (हिंदी-अँग्रेजी) में जारी किया जाए।

इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि लिप्यंतरण (transliteration), इंस्क्रिप्ट की-बोर्ड/यूनिकोड के माध्यम से ई-ऑफिस के माध्यम से हिंदी में सहजता से कामकाज किया जा सकता है तथा ई-ऑफिस में हिंदी में कामकाज की सुविधा उपलब्ध है।

यह सक्षम प्राधिकारी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(अवधेश तिवारी)
सहायक निदेशक (रा.भा.) एवं
प्रभारी, राजभाषा प्रभाग

सेवा में,

....

वितरणः

1. सभी प्रभाग प्रमुख, के.प्र.नि.बो. मुख्यालय - सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
2. अध्यक्ष, केंद्रीय बोर्ड के निजी सचिव - अध्यक्ष महोदय को सादर सूचनार्थ।
3. प्रशासनिक अधिकारी, सदस्य सचिव अनुभाग - सदस्य सचिव महोदय को सूचनार्थ।
4. प्रभारी, आई.टी. प्रभाग - कृपया इसे के.प्र.नि.बो. की वेबसाइट पर अपलोड करें।

(अवधेश तिवारी)